www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-2* *Issue-8* *August 2025***

मनरेगाः कामगारो की सामाजिक सुरक्षा का एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन

डॉ0 पिंकी

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, बी0डी0एम0एम0 गर्ल्स डिग्री कॉलेज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद

सारांश

रोजगार हर मनुष्य के जीवन–संचालन के लिए आवश्यक होता है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें अर्जन की आवश्यकता होती है। इसके लिए काम का मिलना जरूरी है। हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम का मिलना ही रोजगार है, जिससे वह अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि रोजगार के बिना कोई भी मनुष्य अपने अस्तित्व को बचाने में सक्षम नहीं हो सकता। बेरोजगारी एक अभिशाप है। एक बेरोजगार मनुष्य कुत्सित विचारों से घिर जाता है। रोजगार मनुष्य को जीने का अर्थ देता है। उसे एक सचेत नागरिक के रूप में सामाजिक प्रगति के प्रति सचेत करता है। रोजगार प्राप्त व्यक्ति समाज का हितैषी बन जाता है। भारत एक विशाल देश है, जिसकी अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। अर्थात भारत की आत्मा गांवों में बसती है और इन्हीं गांवों में विभिन्न धर्म, जाति और सम्प्रदाय के लोग मिल–जुलकर रहते हैं। वास्तव में ग्रामीण परिवेश ही भारत की विविधता में एकता को दर्शाता है। गांवों के विकास के बिना देश का विकास अधूरा है। वैसे तो गांवों का महत्व आरम्भ से ही रहा है परन्तु स्वतंत्रता के बाद सरकार गांवों के महत्व को समझने लगी है और उसके विकास पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। संविधान लागू होने के बाद से ही देशभर में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों व नगरीय मलिन बस्तियों में बसने वाले वंचितों, गरीबों, दिव्यांगों, महिलाओं, बच्चों और वृद्धों जैसे कमजोर तबकों के लिए नयी–नयी कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को संचालित कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु विभिन्न प्रयास किये जाते रहे हैं। देशवासियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाई गयी विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं, कल्याणकारी एवं मूलभूत सुविधाओं को जुटाने की शुरुआत वर्ष 1952–53 में सामुदायिक विकास सेवा कार्यक्रमों का संचालन हो रहा है। इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था।

मुख्य भाब्दः मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 68 प्रतिशत जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। सम्भवतः इसी कारण ग्रामीण जनजीवन का सामाजिक–आर्थिक उत्थान और गांवों में रोजगार की संभावना सुनिश्चित करना प्रत्येक सरकार का लक्ष्य होता है। वास्तव में ग्रामीण सशक्तिकरण की अवधारणा सही मायनों में तभी साकार हो सकेगी जब ग्रामीण आबादी को सामाजिक आर्थिक विकास और रोजगार के बराबर अवसर मिले। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए कालांतर में पूर्व केन्द्र सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम जैसे दूरगामी प्रभाव वाली पहल की है, जिससे ग्रामीण विकास की अवधारणा को नई ऊँचाइयाँ प्राप्त हो सकें। ग्रामीण भारत को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने वाली ये सभी पहलें सर्वांगीण विकास की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करती हैं।

राष्ट्रीय आय एवं रोजगार

आय मानव विकास का सबसे अहम घटक है। मानव रिपोर्ट के अनुसार 2013 में भारतीयों का औसत सकल राष्ट्रीय आय 5027 डॉलर प्रति व्यक्ति था। जो 2015 में 12–5 बढ़कर 5663–5 डॉलर प्रतिव्यक्ति हो गया। इस अवधि में प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भी 5238 डॉलर हो गया। साल 2013 में कुल श्रम बल की 3–6 फीसदी आबादी बेरोजगार थी। जो 2015 में घटकर 3–5 फीसदी हो गयी है। हालांकि दीर्घ अवधि बेरोजगारी में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई है। गौरतलब है कि इस दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कुल अन्तर्वाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2013 में सकल घरेलू उत्पादन का 1.

5 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्वाह हुआ जो वर्ष 2015 में बढ़कर 2.6 हो गया।

सारणी 1.0

सूचक	2013	2015
प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (2011)	5027.1	5663.5
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (2011)	5238	5730
बेरोजगार (श्रम बल का प्रतिशत)	3.6	3.5
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अर्न्तवाह (जीडीपी का प्रतिशत)	1.5	2.1

जीवन स्तर सम्बन्धी धारणाएं

श्रम ब्यूरो द्वारा चुनिंदा श्रम प्रदान और निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों में तिमाही त्वरित रोजगार सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है कि दिसंबर 2014 की तुलना में दिसंबर 2015 में समग्र रोजगार में 135 हजार तक की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी के इन क्षेत्रों में आईटी/बीपीओ सेक्टर परिधान सहित वस्त्र और धातु सेक्टर शामिल हैं। श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किये गये वार्षिक रोजगार एवं बेरोजगार सर्वेक्षण के मुताबिक रोजगार वृद्धि अभी तक धीमी ही रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17 रोजगार बढ़ाने के उपाय के रूप में बल देता है। इस तरह के उपायों के अन्तर्गत मनरेगा जैसी योजनाओं को और मजबूत बनाये जाने की जरूरत है।

प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट कल्याण की अवधारणा पर एक पूरक सूचकांक भी जारी करता है। सैंपल–सर्वेक्षण पर आधारित यह सूचकांक वैयक्तिक खुशहाली एवं समाज और सरकार के प्रति लोगों की धारणा से निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2012 की तुलना में भारतीय नागरिक वर्ष 2015 में शिक्षा स्वास्थ्य के जीवन स्तर की गुणवत्ता से अधिक खुश व संतुष्ट थे। लोगों में सामाजिक सुरक्षा की भावना और चयन की आजादी बढ़ी है। साथ ही न्यायिक प्रणाली में लोगों का भरोसा बढ़ा है। राष्ट्रीय सरकार पर भरोसे में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि भारतीयों का सकल जीवन संतुष्टि सूचकांक मूल्य मात्र 4.3 है जो कि सभी दक्षिण एशियाई देशों में सबसे कम है।

सारणी 1.1

सूचक	2012 (संतुष्टि)	2015 (संतुष्टि)
शिक्षा की गुणवत्ता	69	76
स्वास्थ्य की गुणवत्ता	48	63
जीवन स्तर की गुणवत्ता	47	63
आदर्श नौकरी की गुणवत्ता	67	80
सुरक्षा की भावना	61	69
चयन की आजादी	57	75

स्त्रोत मानव विकास रिपोर्ट 2014, 2015, 2016 (प्रतिशत में)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को वामदल समर्थित संप्रग सरकार द्वारा 2005 में लाया गया था, कई लोगों का मानना है कि इस परियोजना का वायदा भारतीय आम चुनाव, 2009 में यूपीए के पुनर्विजयी होने के प्रमुख कारणों में से एक था। बेल्जियम में जन्मे और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कार्यरत अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज की इस परियोजना के पीछे एक अहम भूमिका रही।

मनरेगा भी इसी क्रम में एक प्रयास है। अकुशल श्रमिकों के लिये रोजगार सुनिश्चित करना था। मनरेगा भी इसी क्रम में एक प्रयास है। अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (नरेगा) पारित किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जी की 140 वीं जयन्ती पर प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने इसको नया नाम दिया। अब नरेगा को 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम' के नाम से पुकारा जा रहा है। प्रारम्भिक चरणों में इसे देश के 200 जिलों में लागू किया गया।

वर्ष 2007–08 में इसका 130 जिलों में विस्तार किया गया, और पाँच वर्ष के मूल लक्ष्य से पहले तीन वर्ष के भीतर 1 अप्रैल 2008 को इसे देश के सभी जिलों में लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत् यदि किसी ग्रामीण परिवार का कोई वयस्क अकुशल श्रम करने को तैयार हो तो एक वित्तीय वर्ष के भीतर उस परिवार यहाँ आपकी तीसरी इमेज का पूरा टेक्स्ट दिया गया है को कम से कम 100 दिन का अनिवार्य रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है।

कार्यक्रमों का औचित्य

देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ज्यादातर गरीब लोग अकुशल, दिहाड़ी, शारीरिक मजदूरी से मिलने वाली मजदूरी पर आश्रित रहते हैं। वे अक्सर न्यूनतम साधनों से अपना गुजारा करते हैं और गहन गरीबी की निरंतर आशंका में जीते हैं। श्रम की अपर्याप्त मांग तथा प्राकृतिक आपदा अथवा बीमारी जैसे अनपेक्षित संकट, ये सभी उनके रोजगार अवसरों पर बहुत बुरा असर डालते हैं। विकसित और विकासशील देशों में गरीबी और बेरोजगारी से निपटने के लिए ऐसे रोजगार कार्यक्रम बहुत लंबे समय से काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। इन कार्यक्रमों में सिंचाई, वृक्षारोपण, जल संरक्षण एवं सड़क निर्माण जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं में सीमित अवधि के लिए अकुशल शारीरिक श्रम मुहैया कराया जाता है।

रोजगार कार्यक्रमों का औचित्य कुछ बुनियादी मान्यताओं पर आधारित है। इस तरह के कार्यक्रम संकट के समय गरीब परिवारों को आय का जरिया उपलब्ध कराते हैं और उन्हें उपभोग स्तर बनाए रखने में मदद देते हैं। ये कार्यक्रम उन दिनों या सालों में खासतौर से उपयोगी साबित होते हैं जब खेतिहर रोजगार कम होते हैं।

भारी बेरोजगारी वाले देशों में रोजगार कार्यक्रमों से मिलने वाले ये आय स्थानांतरण लाभ गरीबी को बढ़ने से रोकते हैं। इन कार्यक्रमों के कारण स्थाई संपदाओं का निर्माण होता है जिसके कारण दूसरे चक्र के रोजगार भी पैदा होने लगते हैं क्योंकि उनके लिए जरूरी बुनियादी ढांचा अस्तित्व में आ जाता है।

भारत में रोजगार कार्यक्रम

ग्रामीण इलाकों में मौजूदा आजीविका स्रोतों को और बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था विकसित करने की जरूरत विकास नियोजन के शुरुआती दौर में ही महसूस की जाने लगी थी। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई रोजगार कार्यक्रम शुरू किए जिनमें न्यूनतम मजदूरी के आधार पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों को रोजगार दिया जाता था। मजदूरी आधारित रोजगार, क्या आप इन रोजगार कार्यक्रमों के आर्थिक प्रभावों या इनके इतिहास के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) का लक्ष्य यह है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को पुष्ट करने के लिए एक वित्त वर्ष के दौरान ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन का मजदूरी आधारित रोजगार मुहैया कराया जाए जिसके सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं।

इस कानून का दूसरा मकसद स्थायी संपदाओं का निर्माण करना और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूती देना है। इस अधिनियम में सुझाए गए कामों में सूखा, वन विनाश, मृदा क्षरण, आदि ऐसे कारणों को दूर करने का प्रयास किया गया है जो स्थायी गरीबी को जन्म देते हैं। इसके पीछे यही सोच रही है कि रोजगार संवर्द्धन की प्रक्रिया एक टिकाऊ आधार पर चलती रहे।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का दायरा

यह कानून केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में लागू किया गया है और अधिसूचना की तारीख के बाद 5 साल के भीतर इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। पहले चरण में इस कानून को देश के 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था।

भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक कानून बनाया गया है। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत भारत सरकार कई तरह सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं के लिए योजनाएं चलाती हैं:

1. जीवन की अपंगत्ता से सम्बन्धित
2. स्वास्थ्य और प्रसूति सम्बन्ध
3. वृद्धावस्था सम्बन्धित
4. इसके अलावा राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी और मामले पर।

ऐसी योजनाओं के साथ कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान भी किये गये हैं। इनमें कुछ सिर्फ महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर चलाए जा रहे हैं, जबकि कुछ पुरूष और महिलाएं दोनों के लिए बनाए गये हैं। लेकिन महिलाओं का इन योजनाओं और प्रावधानों में खास ख्याल रखा गया है। ऐसा इसलिए ताकि महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा का अहसास हो और उनके साथ महिला होने के कारण किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो और उनकी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही उनसे काम कराया जा सके।

विश्व में भारत प्रथम देश है जिसने रोजगार को कानूनी अधिकार का दर्जा देते हुए अप्रैल 2008 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सम्पूर्ण देश के क्रियान्वयन करने का साहसिक कदम उठाया है।

इस योजना में ग्रामीण महिलाओं के लिए भी रोजगार में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यही नहीं इन महिला मजदूरों के साथ कार्यस्थल पर आने वाले छः वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के निगरानी व देखभाल की व्यवस्था भी इस योजना में की गयी है। पुरूष व महिला मजदूरों के वेतन में समानता के सिद्धान्त को व्यवहारिक तौर पर अपनाने के दिशा–निर्देश इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषता है। निसंदेह रूप से इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध होने पर उनमें स्वाभिमान व आत्मविश्वास बढ़ रहा है।

देश की कुल जनसंख्या आबादी में महिलाओं का हिस्सा 48 फीसदी है, लेकिन देश के श्रम बल में महिलाओं का योगदान आबादी के मुकाबले बहुत कम है। वर्ष 2017 में जारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में केवल 27 फीसदी महिलाएं ही कामकाजी हैं। भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश में महिला कामगारों की संख्या 14 करोड़ 98 लाख है। इनमें 12 करोड़ 18 लाख महिलाएं ग्रामीण इलाकों में काम करती हैं। और तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख महिलाएं शहरी इलाकों में काम करती हैं। गांवों में से 97.4 फीसदी महिलाएं कृषि क्षेत्र यानी खेती बाड़ी में जुड़े काम करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को माने तो देश में उपलब्ध कुल कामगारों में महिलाओं की हिस्सेदारी 25.51 फीसदी है। इन आंकड़ों में 2001 के आंकड़ों के मुकाबले थोड़ी गिरावट हो गयी। वर्ष 2001 में देश में महिला कामगारों की हिस्सेदारी 25.63 फीसदी हुआ करती थी, हालांकि 2011 के आंकड़े 1991 के मुकाबले थोड़े बेहतर जरूर हैं। क्योंकि 1991 में महिला कामगारों की हिस्सेदारी 22.27 फीसदी थी।

महिला कामगारों के इन आंकड़ों के पीछे की बड़ी वजह कामकाज के दौरान सामाजिक सुरक्षा के अभाव में माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा के कई अहम आयाम हैं, जैसे कि–स्वास्थ्य, बीमारी, वृद्धावस्था, बेरोजगारी, रोजगार में रहते हुए कोई अपंगता, परिवार के लिए सहायता, प्रसव और मातृत्व से जुड़ी सुविधाएं हर देश अपने हितों को ध्यान में रखते कामगारों की बेहतरी के लिए ऐसी सुविधाएं उन्हें मुहैया कराता है। भारत ने भी अपने राष्ट्रीय हित में महिला कामगारों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक पर इस तरह की कई योजनाएं बताई हैं।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

संदर्भ–

1. योजना, अगस्त अंक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली पृ० 21–23
2. योजना प्रकाशन विभाग अंक (मई 2017) पृ० 43–46
3. योजना प्रकाशन विभाग अंक (जुलाई 2017) पृ० 41–45
4. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट
5. भारत की जनगणना, 2011
6. कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, (सितम्बर 2007)
7. कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, (फरवरी 2012)
8. www.nrega.nic.in
9. मदन जि. आर. विकास का समाज शास्त्र
10. मदन जि. आर. विकास का समाज शास्त्र
11. Censusingcommission-nic-in/plans/planrel/fiveyr/1st/1planch15
12. Distric at a Glance (Tehri Garhwal)
13. Planningcommission-nic-in/plans/fiveyr/1st/1planch15
14. Rural-nic-in/sites/programmes&schemes&sgsy-asp

15. Uttrahand at aGlance-2015&16
16. www.nrega.nic.in
17. www.nrega.nic.in/uttrakhand/tehri garhwal

Cite this Article-

'डॉ0 पिंकी', "मनरेगाः कामगारो की सामाजिक सुरक्षा का एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन', Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:08, August 2025.

DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i800018

Published Date- 11 August 2025